संख्या– /45(2002)–XXVI /P.M.G.Y.(AWAS)/2004

प्रेषक,

एल0 फैनाई,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज निदेशालय,
उत्तरांचल, पौड़ी।

नियोजन अनुभाग।

देहरादून: दिनांक 17 मार्च, 2005

विषय– प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण आवास हेतु वित्तीय वर्ष 2004–05 में केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–120/45(2002)XXVI(AWAS)/2004 दिनांक 21 फरवरी, 2005 के अनुक्रम में यह अवगत कराया जाना है कि पीएमजीवाई योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा आवंटित कुल परिव्यय रूपये 70.00 करोड के सापेक्ष वर्ष 2004–05 में व्यय के लिए ग्रामीण आवास हेतु रू0 10.00 करोड का परिव्यय आवंटित है । पूर्व में त्रुटिवश इसे रूपये 3.00 करोड प्रदर्शित कर दिया गया था । इस हेतु शुद्धि पत्र संख्या–197/XXVI/2005 दिनांक 01 मार्च, 2005 निर्गत कर दिया गया है । इस प्रकार वर्ष 2004–05 में ग्रामीण आवास हेतु आवंटित परिव्यय रूपये 10.00 करोड के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूपमें 50 प्रतिशत रूपये 5.00 करोड की स्वीकृति निर्गत की जानी है । रूपये 1.50 करोड की स्वीकृति पूर्व में निर्गत कर दी गई है । अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण आवास हेतु आवंटित परिव्यय रूपये 10.00 करोड की प्रशासनिक स्वीकृति तथा स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि रूपये 3.50 करोड (रूपये तीन करोड पचास–लाख मात्र) कालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में प्रथम किस्त के रूप में व्यय हेतु आपके निर्वतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके यथा आवश्यकतानुसार ही दो अथवा तीन किश्तों में ही किया जायेगा। निर्माण कार्य से संबंधित योजनाओं के आगणन सक्षम तकनीकी निर्माण एजेन्सी लोक निर्माण विभाग की दरों पर बनवाकर उस पर सक्षम स्तर के तकनीकी अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3– उक्त धनराशि का व्यय केन्द्र से प्राप्त सहायता के आधार पर स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत अनुमोदित स्वीकृत परिव्यय की सीमा तक किया जायेगा।

4– उक्त स्वीकृत धनराशि की जनपदवार फॉट भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार आपके स्तर से की जायेगी तथा इसका आवंटन एवं व्यय वर्तमान नियमों/आदेशों तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा।

5– उक्त योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का उपयोग समय–2 पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों/गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।

6– उक्त प्रस्तर–2 से 4 में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन में विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक एवं मुख्य वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करते हुए सुव्यवस्थित लेखा रखेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि वे सूचना सम्पूर्ण विवरण सहित वित्त/नियोजन विभाग को दी जायेगी। उक्त धनराशि के उपभोग के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही दूसरी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

7– व्यय उन्हीं योजनाओं पर मदवार किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

8– क्रय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय नियम संग्रह, स्टोर पर्चेज रूल्स, टेण्डर/कोटेशन का अनुपालन किया जायेगा।

9– दूसरी किश्त तब अवमुक्त की जायेगी जब प्रथम किश्त द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाय । इस धनराशि का आवंटन पूर्व में अवमुक्त धनराशि का 80 प्रतिशत तक के उपयोग के उपरान्त ही किया जायेगा ।

10– स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार को यथा समय उपलब्ध कराते हुए प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह के अन्त तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2005 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा ।

12– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–3451–सचिवालय आर्थिक सेवायें–00–आयोजनागत–092–अन्य कार्यालय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–01–प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (100 प्रतिशत केन्द्रांश)–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

13– यह स्वीकृति वित्त विभाग अशासकीय संख्या–647/वि0अनु0–3/2004 दिनांक 09 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एल0 फिनाई)
अपर सचिव।

संख्या–116 (1)/45(2002)–XXVI /P.M.G.Y.(AWAS)/2004 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, लेखाएवंहकदारी, उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– संयुक्त निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, आय–व्ययक अनुभाग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 13 जनवरी, 2005 के क्रम में।
3– निदेशक, (आर0डी0) योजना आयोग, योजना भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन।
5– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
6– आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, पौड़ी/नैनीताल।
7– समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
8– श्री एल0एम0 पंत, अपर सचिव, वित्त, बजट प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
9– वित्त अनुभाग–3 /गार्ड फाईल।
10– एन0आई0सी0, देहरादून

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव।